



भारत सरकार

(वित्त मंत्रालय)

कार्यालय आयकर आयुक्त - प्रथम कानपुर
आयकर भवन, 16/69, सिविल लाइन्स, कानपुर

विषय: आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12कक(1) में निबन्धन हेतु

फ0सं0 1046/1750 /आ0आ0 प्रथम/निबन्धक/तकनीकी/कानपुर/1804 दिनांक:30/08/2013

न्यास संस्था का नाम व पता : प्रेरणा महिला समिति,
175.बंगाली कालोनी,दूध मण्डी के सामने
रामादेवी, कानपुर

उपरोक्त न्यास संस्थान जिसका गठन दिनांक 03/12/2010 को हुआ है, के द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 12क (1) के अन्तर्गत निर्धारित फार्म में पंजीकरण हेतु अपना आवेदन पत्र दिनांक 28/03/2013 को इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है। अतः उपरोक्त न्यास/संस्थान का पंजीकरण आयकर अधिनियम की धारा 12कक(1) के अन्तर्गत दिनांक 28/03/2013 से स्वीकृत किया जाता है।

आवेदन की प्रविष्टि कार्यालय में रखे गये धारा 12कक(1) के आवेदन रजिस्टर में क्रम संख्या 1046/1750 पर कर दी गयी है।



प्रतिलिपि प्रेषित :-

ह0/-

(डा0 आनन्द कुमार अग्रवाल)
आयकर आयुक्त-प्रथम,
कानपुर

1 प्रेरणा महिला समिति, 175.बंगाली कालोनी, दूध मण्डी के सामने रामादेवी, कानपुर को निर्देश दिया जाता है कि वह अपनी वार्षिक प्राप्तियों और खर्चों का पूर्ण विवरण और यदि नियमों या विनियमों में कोई परिवर्तन/संशोधन किये गये हो तो उसकी सूचना सम्बन्धित आयकर अधिकारी/आयकर उपायुक्त आयुक्त को अवश्य दें।

2. अपर /संयुक्त आयकर आयुक्त,-1, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3. सहा0/उपायुक्त आयकर आयुक्त,-1 कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(सूर्य कान्त मिश्र)
आयकर अधिकारी(तकनीकी)
कृते आयकर आयुक्त, प्रथम, कानपुर
(सूर्य कान्त मिश्र)
आयकर अधिकारी (तकनीकी)
कार्या0 आयकर आयुक्त-I
कानपुर